आयकर विभाग, रेलवे बोंड भवन, शिमला -(हि०प्र०) फोन :(0177)2650758, 2650770, 2801577फैक्स 2650390

फ०स०:आ०आ०/शिमला/तक०-II/1/ ***M-30*** /12 कक/2007-08/.2162

कार्यालय
आयकर आयुक्त
शिमला,हि.प्र. ।

दिनांक : 16-8-2007.

आयकर अधिनियम,1961 की धारा 12-कक(1)(ख) के अधीन आदेश :

मै० ***मानव कल्याण सेवा समिति, गांव कराई, डा० एवं तहसील चोपाल, ज़िला शिमला, हि०प्र०*** ने विहित प्रपत्र में आयकर अधिनियम,1961 की धारा 12-कक(1)(ख) के अतंर्गत पंजीकरण के लिए दिनांक ***25-5-2007*** को आवेदन दिया है जबकि संस्था का सोसायटीज़ रजिस्ट्रशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकरण दिनांक ***26-10-1988*** को हुई है। अतः आवेदन काफी देरी से दी है। आवेदक द्वारा दिए गए देरी के कारण, संस्था का यह impression कि इस के activities का पूर्त nature का होने की वजह से आय को धारा 10 में exempt होना मान लेना, उचित नही लगते हैं क्योंकि संस्था के अध्यक्षा एक वकील हैं जिन्हे पंजीकरण के आवश्यकता के बारे मे मालूम होनी चाहिए थी। अतः देरी को क्षमा नही किया जाता है ।

2. उपरोक्त संस्था के आवेदन पर विचार करने के बाद संस्था को आयकर अधिनियम,1961 की धारा 12-कक(1)(ख) के अर्न्तगत पंजीकरण के लिए दिनांक ***1-4-2007*** से ही उपयुक्त पाया गया है, अतः उसी तिथि से धारा धारा 12-कक(1)(ख) के अर्न्तगत पंजीकृत किया जाता है।

3. संस्था को इस कार्यालय के पंजीकरण रजिस्टर के क्रमांक ***M-30*** पर इन्दराज किया गया है । अतः संस्था को दिनांक ***1-4-2007*** से आयकर अधिनियम,1961 की धारा 11 एवं 12 के अर्न्तगत पंजीकरण के लाभ मिलेंगे ।

हस्ता०
(अखिलेश रंजन)
आयकर आयुक्त,
शिमला,हि.प्र.।

प्रति प्रेषित है :

1. आवेदक संस्था को (पंजीकृत डाक से) ।
2. आयकर अधिकारी, वार्ड-3, शिमला को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. आयकर अपर आयुक्त, शिमला रेंज, शिमला को सूचनार्थ।
4. आयकर मुख्य आयुक्त, हि.प्र. क्षेत्र, शिमला को सूचनार्थ ।

(आर. सी.बेकटा)
उप-आयकर आयुक्त (मुख्या.) तक.,
शिमला, हि. प्र. ।